

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-23032020-218861
SG-DL-E-23032020-218861

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]	दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2020/फाल्गुन 27, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 413
No. 52]	DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2020/PHALGUNA 27, 1941	[N.C.T.D. No. 413

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 17 मार्च, 2020

साक्षी सुरक्षा योजना, 2019

फा. सं. 11/79/2013/गृ.पु.-II/1414-1430 प्रस्तावना

लक्ष्य और उद्देश्य:

न्यायिक व्यवस्था में गवाही देने या कानून प्रवर्तन एजेंसियों और जांच अधिकारियों को डराने या प्रतिशोध के डर के बिना सहयोग करने की गवाह की क्षमता कानून के शासन को बनाए रखने में आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आपराधिक मामलों की जांच, अभियोजन और मुकदमे में पूर्वाग्रह न रहे, क्योंकि गवाहों को हिंसक या अन्य आपराधिक आक्रमण से सुरक्षा के बिना सबूत देने के लिए डराया या धमकाया जाता है। इसका उद्देश्य आपराधिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्याय के समग्र प्रशासन को सहायता प्रदान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करके कानून प्रवर्तन को बढ़ावा देना है। गवाहों को सुरक्षा के पूर्ण आश्वासन के साथ कानून प्रवर्तन और न्यायिक अधिकारियों की सहायता के लिए आगे आने के लिए विश्वस्त किए जाने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य उन उपायों की श्रृंखला को स्पष्ट करना है जो गवाहों और उनके परिवार के सदस्यों को धमकियों और उनके जीवन, प्रतिष्ठा और संपत्ति के खतरों से बचाने के लिए अपनाए जा सकते हैं।

स्कीम की आवश्यकता और औचित्य:

जेरेमी बेंथम ने कहा है कि “गवाह न्याय की आंखें और कान हैं।” जघन्य अपराधों से जुड़े मामलों में, गवाह जान और माल की धमकी के कारण प्रतिकूल हो जाते हैं। गवाहों को लगता है कि राज्य की ओर से उन्हें कोई संरक्षण देने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।

भारत का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गुराज राज्य बनाम अभिरुद्ध सिंह (1997) ने 6 एससीसी 514 में कहा कि: “राज्य की सहायता के लिए अपराध के कमीशन का ज्ञान रखने वाले हर गवाह का कर्तव्य है साक्ष्य देना। “आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार पर मलीमथ समिति, 2003 ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि “अपराध के कमीशन से संबंधित साक्ष्य देकर, वह सत्य की खोज के लिए अदालत की सहायता करने का एक पवित्र कर्तव्य निभाता है। “जहीरा हबीबुल्ला एच शिख और अन्य बनाम गुजरात राज्य में 2004 (4) एससीसी 158 ने भारत में फेयर ट्रायल को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित करते हुए कहा “यदि गवाहों को धमकी मिलती है या झूठे सबूत देने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इसका परिणाम भी निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकता।”

भारत में साक्षी संरक्षण का पहला संदर्भ 1958 में भारत के विधि आयोग की 14 वीं रिपोर्ट में आया था। इस विषय पर आगे का संदर्भ भारत के विधि आयोग की 154 वीं और 178 वीं रिपोर्ट में है। भारत के विधि आयोग की 198 वीं रिपोर्ट “गवाह पहचान संरक्षण और गवाह संरक्षण कार्यक्रम, 2006” के नाम से इस विषय से संबंधित।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने जाहिरा मामले में कहा, “कोई भी देश अपने नैतिक रूप से सही नागरिकों को बलात्कारियों और हत्यारों जैसे असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान किए जाने के लिए नहीं छोड़ सकता।” 4 वें राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट, 1980 ने नोट किया कि “अभियोजन पक्ष के गवाह अभियुक्तों के दबाव के कारण प्रतिकूल हो रहे हैं और गवाहों को प्रभावित करने की रोकने के लिए नियमन की आवश्यकता है”।

विधायिका ने 2006 में धारा 195क आईपीसी की शुरुआत की है। सात साल की सजा के साथ गवाहों को आपराधिक धमकी देना दंडनीय अपराध है जिसके लिए सात साल की सजा है। इसी तरह, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट, 2011, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 और राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, 2008 और अनुसूचित जाति और जनजाति (रोकथाम) अत्याचार) अधिनियम, 1989 में धमकी के खिलाफ गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। हालांकि समग्र रूप से गवाह सुरक्षा के मुद्दे पर कार्यवाई हेतु अभी तक कोई औपचारिक विधिवत कार्यक्रम पेश नहीं किया गया है।

हाल के वर्षों में चरमपंथ, आतंकवाद और संगठित अपराध बढ़ गए हैं और साथ ही मजबूत और विविधतापूर्ण होते जा रहे हैं। ऐसे अपराधों की जांच और अभियोजन में, यह आवश्यक है कि गवाहों का आपराधिक न्याय प्रणाली में भरोसा हो। गवाहों को कानून प्रवर्तन और अभियोजन एजेंसियों की सहायता के लिए आगे आने के लिए आत्मविश्वास होना चाहिए। उन्हें आश्वस्त करने की आवश्यकता है कि भयभीत करने से संरक्षण और सहायता प्राप्त होगी। अपराधी उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने और कानून की अदालत के समक्ष गवाही देने के लिए हतोत्साहित करने हेतु नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए, यह उपयुक्त समय है कि देश में गवाह संरक्षण की समस्या के निराकरण के लिए एक समान योजना बनाई जाए।

इस तरह की एक योजना की आवश्यकता को देखते हुए, दिल्ली ने दिल्ली गवाह संरक्षण योजना, 2015 की अधिसूचना अधिसूचना No-F-11/79/2013/HP-II-6650-6661 दिनांक 30 जुलाई, 2015 को अधिसूचित की थी। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महेन्द्र चावला एंड ऑर्म्स बनाम यूनिन ऑफ इंडिया एंड ऑर्म्स के मामले में गवाह संरक्षण योजना, 2018 को मंजूरी दे दी है। तदनुसार, दिल्ली गवाह संरक्षण योजना, 2015 को रद्द करना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित रूप में गवाह संरक्षण योजना, 2018 को लागू करना अनिवार्य हो गया है।

योजना का दायरा:

गवाह संरक्षण गवाही की रिकॉर्डिंग के लिए कोर्ट रूम तक गवाह को पुलिस एस्कॉर्ट प्रदान करने या आधुनिक संचार तकनीक (जैसे ऑडियो वीडियो साधन) का उपयोग करके गवाही दर्ज करवाने से सरल हो सकता है। अन्य अधिक जटिल मामलों में, जिसमें संगठित आपराधिक समूह को शामिल होते हैं, गवाह की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए असाधारण उपायों की आवश्यकता जैसे गुमनामी, एक सुरक्षित घर में अस्थायी निवास की पेशकश, एक नई पहचान देने और एक अज्ञात स्थान पर गवाह का स्थानांतरण होती है। हालांकि, साक्षी की गवाह सुरक्षा जरूरतों को उनकी और खतरे की संभावना के आधार पर मामलों को अलग-अलग आधार पर देखा जा सकता है।

साक्षी सुरक्षा योजना, 2019

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :-

- (क) यह योजना “साक्षी सुरक्षा योजना, 2019” के नाम से जानी जाएगी।
- (ख) यह दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

भाग-I**2. परिभाषाएं :-**

- (क) “संहिता” का अर्थ अपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) से है;
- (ख) “साक्षी की पहचान को छुपाना” का अर्थ है और इसमें सम्मिलित है मुकद्दमें तथा जांच मुकद्दमें के बाद के स्तर पर साक्षियों के नाम, पता तथा अन्य विवरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से उजागर न करने या प्रकाशित न करने की शर्तें, जिससे साक्षियों की पहचान हो सके;
- (ग) “सक्षम प्राधिकारी” का अर्थ प्रत्येक जिले की स्थायी समिति जिसका अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिसमें जिले का पुलिस उपायुक्त एक सदस्य होगा तथा जिला अभियोजन अध्यक्ष इसका सदस्य सचिव होगा;
- (घ) “परिवार के सदस्य” में अभिभावक, पति-पत्नी, लिव-इन-पार्टनर, भाई-बहन, बच्चे, गवाह के पोता-पोती, नाती/नातीन आते हैं;
- (ङ) “फार्म” का अर्थ इस योजना के साथ संलग्न “साक्षी सुरक्षा आवेदन फार्म” से है;
- (च) “इन कैमरा कार्यवाही” का अर्थ है ऐसी कार्यवाही जिसमें सक्षम प्राधिकारी/न्यायालय केवल उन्हीं लोगों को अनुमति देता है जो सुनवाई तथा साक्षी सुरक्षा आवेदन पर निर्णय लेने या न्यायालय में बयान देने के लिए आवश्यक है;
- (छ) “लाइव लिंक” का अर्थ है किसी मामले में बयान देने के लिए या सक्षम प्राधिकारी से बातचीत करते समय शारीरिक रूप से अनुपस्थित रहता है;
- (ज) “गवाह सुरक्षा उपाय” का अर्थ है खंड 7, भाग-III, भाग-IV और योजना के भाग-V में दिए गए उपाय;
- (झ) “अपराध” का अर्थ उन अपराधों से है जो मृत्यु या आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक के कारावास के साथ दंडनीय है और साथ ही आईपीसी की धारा 354, 354क, 354ख, 354ग, 354घ और 509 के तहत दंडनीय अपराध है;
- (ञ) “धमकी विश्लेषण रिपोर्ट” का अर्थ है जिले में पुलिस के मुखिया द्वारा तैयार ओर प्रस्तुत की गई मामले की जांच संबंधी विस्तृत रिपोर्ट जो गवाह या उसके परिवार के सदस्यों के लिए खतरे की धारणा की गंभीरता और विश्वसनीयता के संबंध में मामले की जांच कर रही है।
इसमें गवाह या उसके परिवार को उनके जीवन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को लेकर खतरे की प्रकृति के बारे में विशिष्ट विवरण होंगे, साथ ही यह भी होगा कि खतरे को लागू करने वाले व्यक्तियां व्यक्तियों के पास उस खतरे को लागू करने की मंशा, मकसद और संसाधन हैं;
- मामले के संबंध में साक्षी की सुरक्षा हेतु उठाए जाने वाले विशिष्ट कदमों पर सलाह देने के अलावा यह धमकी के बोध का भी श्रेणी करण करेगा।
- (ट) “गवाह” का अर्थ किसी भी व्यक्ति से है जो किसी अपराध के बारे में जानकारी या दस्तावेज रखता है;
- (ठ) “गवाह संरक्षण आवेदन” का अर्थ है एक गवाह से एक आवेदन पत्र जो सक्षम अधिकारी के अपने सदस्य सचिव के माध्यम से गवाह संरक्षण आदेश मांगने के लिए ले जाया गया हो। इसे गवाह उसके परिवार के सदस्य उसके विधिवत् परामर्शदाता आईओ/एसएचओ/एसीपी-सब डिवीजन/जेल अधीक्षक द्वारा दिया जा सकता है;
- (ड) “गवाह संरक्षण निधि” का अर्थ इस योजना के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित गवाह संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन के दौरान किए गए खर्चों को वहन करने के लिए बनाया गया फंड है;
- (ढ) “गवाह संरक्षण आदेश” का अर्थ है सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित एक आदेश जो गवाह सुरक्षा उपायों को लिया जाता है;
- (ण) “विटनेस प्रोटेक्शन सेल” का अर्थ है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस या केंद्रीय पुलिस एजेंसियों के एक समर्पित सेल ने गवाह सुरक्षा आदेश को लागू करने के लिए कर्तव्य सौंपा।

भाग— II

3. धमकी की धारणा के अनुसार गवाहों का वर्गीकरण:

श्रेणी 'ए': जहां जांच/परीक्षण के बाद या उसके बाद गवाह या उसके परिवार के सदस्यों के जीवन पर खतरा बढ़ जाता है।

श्रेणी 'बी': जांच या परीक्षण के बाद या उसके बाद, जहाँ गवाह या उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति पर खतरा बढ़ता है।

श्रेणी सी ': जहां खतरा मध्यम है और जांच/परीक्षण या उसके बाद गवाह या उसके परिवार के सदस्यों, प्रतिष्ठा या संपत्ति के उत्पीड़न या डराने तक विस्तृत है।

4. स्टेट वितनेस प्रोटेक्शन निधि:

(ए) एक फंड होगा, अर्थात्, गवाह संरक्षण कोष जिसमें से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित गवाह संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन के दौरान और अन्य संबंधित खर्चों को पूरा किया जाएगा।

(बी) गवाह संरक्षण कोष में निम्नलिखित शामिल होंगे: —

i) राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट में किए गए बजटीय आवंटन;

ii) साक्षी संरक्षण कोष में न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा जमा/आदेशित राशि की प्राप्ति;

iii) सरकार द्वारा अनुमत परोपकारी/धर्मार्थ संस्थाओं/संगठनों और व्यक्तियों से दान/योगदान;

iv) निगमित सामाजिक दायित्व के तहत निधियों का योगदान है।

(ग) उक्त कोष का संचालन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संभागीय आयुक्त द्वारा किया जाएगा।

5. आवेदन सक्षम प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करना:

इस योजना के तहत संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन जहां अपराध किया गया हो, संबंधित जिले के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित प्रपत्र में दायर किया जा सकता है, आवेदन सदस्य सचिव के माध्यम से सहायक दस्तावेजों के साथ यदि कोई हो, प्रस्तुत किया जायेगा।

6. आवेदन के प्रक्रमण की प्रक्रिया:

(क) जब भी सक्षम प्राधिकारी के सदस्य सचिव द्वारा एक आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त होता है, तो संबंधित पुलिस सब-डिवीजन के प्रभारी एसीपी/डीसीपी से श्रेट विश्लेषण रिपोर्ट को कॉल करने के लिए एक आदेश पारित करेगा।

(ख) आसन्न खतरे के कारण मामले में तात्कालिकता के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी आवेदन की पेंडेंसी के दौरान गवाह या उसके परिवार के सदस्यों के अंतरिम संरक्षण के लिए आदेश पारित कर सकता है।

बशर्ते कि आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों के जीवन के लिए गंभीर और आसन्न खतरे के मामले में पुलिस द्वारा तत्काल सुरक्षा प्रदान करने में कोई बाधा नहीं है।

(ग) पूरी गोपनीयता बनाए रखते हुए धमकी विश्लेषण रिपोर्ट शीघ्रता से तैयार की जाएगी और यह आदेश प्राप्त होने के पाँच कार्य दिवसों के भीतर सक्षम प्राधिकारी तक पहुँच जाएगी।

(घ) खतरा विश्लेषण रिपोर्ट खतरे की धारणा को वर्गीकृत करेगी और इसमें गवाह या उसके परिवार को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए सुरक्षा उपाय के सुझाव भी शामिल होंगे।

(ङ) गवाह सुरक्षा के लिए आवेदन का प्रक्रमण करते समय, सक्षम प्राधिकारी भी वरीयतः व्यक्तिगत रूप से बातचीत करेगा और यदि संभव न हो साक्षी और/या उसके परिवार के सदस्यों/नियोक्ताओं या किसी अन्य

उपयुक्त व्यक्ति के साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बातचीत करेगा ताकि गवाह के लिये सुरक्षा की जरूरत को सुनिश्चित किया जा सके।

(च) साक्षी संरक्षण आवेदन पर सभी सुनवाई पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बंद कमरे में आयोजित की जाएगी।

(छ) पुलिस अधिकारियों से धमकी विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने के पांच कार्य दिवसों के भीतर एक आवेदन का निस्तारण किया जाएगा।

(ज) सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित गवाह संरक्षण आदेश राज्य या ट्रायल कोर्ट के गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा लागू किया जाएगा, जैसा भी मामला हो। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित सभी गवाह संरक्षण आदेशों के कार्यान्वयन की पूरी जिम्मेदारी राज्य/केंद्र शासित में पुलिस प्रमुख पर होगी।

हालाँकि, पहचान बदलने और/या स्थानांतरण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश संबंधित राज्य/केंद्र शासित के गृह विभाग द्वारा लागू किया जाएगा।

(झ) गवाह संरक्षण आदेश पारित होने के बाद, गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट दाखिल करेगा।

(ञ) यदि सक्षम प्राधिकारी पाता है कि गवाह संरक्षण आदेश को संशोधित करने की आवश्यकता है या इस संबंध में एक आवेदन दिया गया है और मुकद्दमा पूरा होने पर, एसीपी/डीसीपी प्रभारी से एक ताजा धमकी विश्लेषण रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। संबंधित पुलिस सब-डिवीजन के प्रभारी एसीपी/डीसीपी से मंगवाई जाएगी।

7. सुरक्षा उपायों के प्रकार:

आदेश दिए गए गवाह सुरक्षा उपाय खतरे के अनुपात में होंगे और एक विशिष्ट अवधि के लिए होंगे जो एक समय में तीन महीने से अधिक नहीं होंगे। इन उपायों में शामिल हो सकते हैं:

- (क) यह सुनिश्चित करना कि गवाह और अभियुक्त जांच या परीक्षण के दौरान आमने-सामने न आए;
- (ख) मेल और टेलीफोन कॉल की निगरानी;
- (ग) गवाह के टेलीफोन नंबर को बदलने के लिए टेलिफोन कंपनी के साथ व्यवस्था करना या उसे एक असूचीबद्ध टेलीफोन नंबर देना;
- (घ) गवाह के घर में सुरक्षा उपकरणों की स्थापना जैसे सुरक्षा द्वार, सीसीटीवी, अलार्म, बाड़ आदि;
- (ङ) बदले हुए नाम या वर्णमाला के साथ उसका उल्लेख करके गवाह की पहचान छिपाना;
- (च) गवाह के लिए आपातकालीन संपर्क व्यक्ति;
- (छ) गवाह के घर के आस-पास नजदीकी सुरक्षा, नियमित पेट्रोलिंग;
- (ज) किसी रिश्तेदार के घर या पास के शहर में रहने का अस्थायी स्थानान्तरण;
- (झ) सुनवाई की तारीख के लिए न्यायालय जाने और लाने हेतु सरकारी वाहन या राज्य वित्त पोषित वाहन का प्रावधान;
- (ञ) बंद कमरे में सुनवाई करना;
- (ट) बयान और गवाही की रिकॉर्डिंग के दौरान मौजूद रहने के लिए एक सहायक व्यक्ति की अनुमति;
- (ठ) विशेष रूप से डिजाइन किए गए संवेदनशील गवाह कोर्ट रूम का उपयोग, जिसमें लाइव लिंक, वन वे मिरर और स्क्रीन जैसे विशेष इंतजाम हैं, गवाहों और अभियुक्तों के लिए अलग-अलग मार्ग होने के अलावा, गवाह के चेहरे की छवि को संशोधित करने और साक्षी की आवाज ऑडियो फीड को संशोधित करने के विकल्प हो ताकि साक्षी की आवाज पहचानी न जा सके;
- (ड) स्थगन के बिना प्रतिदिन के आधार पर परीक्षण के दौरान बयान की शीघ्र रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करना;
- (ढ) समय-समय पर वित्तीय सहायता /साक्षी को साक्षी संरक्षण निधि से अनुदान उसके अन्यत्र भेजने, जीविका या नए व्यवसाय/पेशे को शुरू करने के लिए, यदि वांछित है, प्रदान करना;
- (ण) सुरक्षा उपायों का अन्य रूप में आवश्यक माना गया कोई उपाय।

8. निगरानी और समीक्षा:

एक बार संरक्षण आदेश पारित होने के बाद, सक्षम प्राधिकारी इसके कार्यान्वयन की निगरानी करेगा और मामले में प्राप्त अनुवर्ती रिपोर्टों के संदर्भ में इसकी समीक्षा कर सकता है। हालांकि, सक्षम प्राधिकारी गवाह सुरक्षा सेल द्वारा प्रस्तुत मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट के आधार पर त्रैमासिक आधार पर गवाह संरक्षण आदेश की समीक्षा करेंगे।

भाग—III**9. पहचान की सुरक्षा: —**

किसी भी अपराध की जांच या परीक्षण के दौरान, अपने सदस्य सचिव के माध्यम से, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पहचान की सुरक्षा के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दायर किया जा सकता है।

आवेदन प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी के सदस्य सचिव धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के लिए कॉल करेंगे। सक्षम प्राधिकारी गवाह या उसके परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति, जिसे वह उपयुक्त समझता है, की जांच करेगा कि क्या पहचान सुरक्षा आदेश पारित करना आवश्यक है।

आवेदन की सुनवाई के दौरान, गवाह की पहचान किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताई जाएगी, जिससे गवाह की पहचान की संभावना है। सक्षम प्राधिकारी इसके बाद, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार आवेदन का निपटान कर सकता है।

गवाह की पहचान की सुरक्षा के लिए एक आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित किया जाता है, यह गवाह संरक्षण प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करे कि गवाह/उसके परिवार के सदस्यों, जिसमें नाम/माता-पिता/व्यवसाय/पता/डिजिटल फूट प्रिंटस शामिल हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं।

जब तक किसी भी गवाह की पहचान सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत सुरक्षित है, तब तक गवाह संरक्षण सेल उन लोगों का विवरण प्रदान करेगा, जिन्हें गवाह आपात स्थिति में संपर्क कर सकता है।

भाग—IV**10. पहचान में बदलाव: —**

उपयुक्त मामलों में, जहां पहचान बदलने के लिए गवाह से अनुरोध होता है और थ्रेट एनालिसिस रिपोर्ट के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी गवाह को एक नई पहचान देने का निर्णय ले सकता है।

नई पहचानों का प्रदान करने में नया नाम/पेशा/अभिभावक और सरकारी एजेंसियों द्वारा स्वीकार्य सहायक दस्तावेज प्रदान करना शामिल है। नई पहचानों से गवाह को मौजूदा शैक्षिक / व्यावसायिक / संपत्ति अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

भाग—V**11. गवाह को स्थानांतरण:**

उपयुक्त मामलों में, जहां स्थानांतरण के लिए गवाह से अनुरोध है, खतरा विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी गवाह के स्थानांतरण के लिए निर्णय ले सकता है।

सक्षम प्राधिकारी गवाह की सुरक्षा, कल्याण और भलाई को ध्यान में रखते हुए भारतीय संघ के राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश के भीतर सुरक्षित स्थान पर साक्षी स्थानांतरण के लिए एक आदेश पारित कर सकता है। खर्च गवाह संरक्षण कोष से वहन किया जाएगा।

भाग—VI**12. गवाहों को स्कीम की जानकारी:**

प्रत्येक राज्य इस योजना का व्यापक प्रचार करेगा। आईओ और कोर्ट गवाहों को "गवाह संरक्षण योजना" के उपलब्ध होने और इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में सूचित करेंगे।

13. रिकॉर्ड की गोपनीयता और संरक्षण:

पुलिस, अभियोजन विभाग, कोर्ट स्टाफ, दोनों पक्षों के वकील सहित सभी हितधारक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में, इस योजना के तहत कार्यवाही के संबंध में कोई भी रिकॉर्ड, दस्तावेज या जानकारी किसी व्यक्ति के साथ ट्रायल कोर्ट/अपीलीय अदालत के लिखित आदेश के अलावा किसी भी तरीके से साझा नहीं की जाएगी।

इस योजना के तहत कार्यवाही से संबंधित सभी रिकॉर्ड ऐसे समय तक संरक्षित रहेंगे जब तक कि संबंधित परीक्षण या अपील न्यायालय के समक्ष लंबित न हो। पिछली अदालत की कार्यवाही के निपटान के एक साल बाद, रिकॉर्ड की हार्ड कॉपी को, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी स्कैन साफ्टकॉपी को संरक्षित करने के बाद, समाप्त किया जा सकता है।

14. खर्च की वसूली:

यदि गवाह ने झूठी शिकायत दर्ज की है, तो संभागीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सरकार, साक्षी संरक्षण निधि से किए गए खर्च की वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है।

15. समीक्षा और अपील:

यदि सक्षम प्राधिकारी के निर्णयों से गवाह या पुलिस अधिकारी सहमत हैं, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित करने के 15 दिनों के भीतर एक समीक्षा आवेदन दायर किया जा सकता है।

16. निरसन:

दिल्ली विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम, 2015 एतद्वारा निरस्त होती है। योजना की अधिसूचना के बाद डीएसएलएसए के समक्ष लंबित मामले संबंधित जिला सक्षम प्राधिकारी को हस्तांतरित कर दिए जाएंगे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
डी. एन. सिंह विशेष सचिव (गृह)

साक्षी संरक्षण योजना 2019 के अन्तर्गत**साक्षी संरक्षण आवेदन पत्र**

सेवा में,

(दो प्रतियों में भरा जाए)

सक्षम प्राधिकारी

जिला

आवेदन का कारण:

1. साक्षी संरक्षण :
2. साक्षी संरक्षण का पहचान :
3. नई पहचान :
4. साक्षी का स्थानान्तरण :

1.	साक्षी का विवरण (साफ अक्षरों में भरिए) (1) नाम (2) आयु (3) पिता का नाम (4) आवासीय पता (5) क्या साक्षी पहचान संरक्षण नई पहचान/गवाह स्थानान्तरण चाहता है, यदि हां, तो कारण बताइये। (6) परिवार के सदस्यों के नाम और अन्य विवरण, जिन्हें धमकियां मिल रही हैं या आशंका है (7) संपर्क विवरण (मोबाईल-ई-मेल)	
2.	अपराधिक विषयवस्तु का विवरण (1) एफआईआर संख्या (2) धारा (के तहत) (3) पुलिस स्टेशन (4) जिला	

	(5) डीडी सं० (यदि मामले में एफआईआर अभी तक पंजीकृत नहीं है) 6. आपराधिक केस नंबर (निजी शिकायत के मामले में)	_____
3.	अभियुक्त के विवरण (यदि उपलब्ध/ज्ञात): (1) नाम (2) पता (3) फोन नं० (4) ई-मेल आईडी	_____ _____ _____
4.	धमकियां देने वाले व्यक्ति या संदेहास्पद व्यक्ति का नाम और अन्य विवरण	_____ _____ _____
5.	खतरे की प्रकृति। कृपया विशिष्ट तिथि, स्थान, तरीका और उपयोग किए गए शब्दों के साथ मामले में प्राप्त या संज्ञावित खतरे का संक्षिप्त विवरण दें	_____ _____ _____
6.	साक्षी के लिए/द्वारा प्रार्थना की गई गवाह सुरक्षा उपायों के प्रकार	_____ _____ _____
7.	यदि आवश्यक हो, तो अन्तरिम/जरूरी गवाह संरक्षण का विवरण दीजिए	_____ _____

- आवेदन/गवाह अतिरिक्त जानकारी देने के लिए अतिरिक्त शीट का उपयोग कर सकते हैं।

_____ (हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम)

दिनांक :

दिल्ली :

शपथ

1. मैं शपथ लेता हूँ कि मैं सक्षम प्राधिकारी और राज्य और गवाहर संरक्षण शाखा के गृह विभाग के साथ पूरा सहयोग करूंगा।
2. मैं प्रमाणित करता हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।
3. मैं समझता हूँ कि यदि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी झूठी पाई जाती है तोयोजना के तहत सक्षम प्राधिकारी को साक्षी संरक्षण कोष से मेरे ऊपर खर्च किए गए व्यय की वसूली का अधिकार है।

आवेदक का पूरा नाम
हस्ताक्षर सहित

दिनांक:

दिल्ली:

**HOME (POLICE-II) DEPARTMENT
NOTIFICATION**

Delhi, the 17th March, 2020

No. F. 11/79/2013/HP-II/1414-1430.—

Witness Protection Scheme, 2019

PREFACE

Aims & Objective:

The ability of a witness to give testimony in a judicial setting or to cooperate with law enforcement agencies and investigating officers without fear of intimidation or reprisal is essential in maintaining the rule of law. The objective of this Scheme is to ensure that the investigation, prosecution and trial of criminal offences is not prejudiced because witnesses are intimidated or frightened to give evidence without protection from violent or other criminal recrimination. It aims to promote law enforcement by facilitating the protection of persons who are involved directly or indirectly in providing assistance to criminal law enforcement agencies and overall administration of Justice. Witnesses need to be given the confidence to come forward to assist law enforcement and Judicial Authorities with full assurance of safety. It is aimed to identify series of measures that may be adopted to safeguard witnesses and their family members from intimidation and threats against their lives, reputation and property.

Need and justification for the scheme:

Jeremy Bentham has said that “*Witnesses are the eyes and ears of justice.*” In cases involving heinous crimes, witnesses turn hostile because of threat to life and property. Witnesses feel that there is no statutory legal-obligation on the part of the State to extend any protection to them.

Hon’ble Supreme Court of India also held in *State of Gujarat v. Anirudh Singh* (1997) 6 SCC 514 that: “It is the salutary duty of every witness who has the knowledge of the commission of the crime, to assist the State in giving evidence.” Malimath Committee on Reforms of Criminal Justice System, 2003 said in its report that “By giving evidence relating to the commission of an offence, he performs a sacred duty of assisting the court to discover the truth”. In *Zahira Habibulla H. Shiekh and Another v. State of Gujarat* 2004 (4) SCC 158 while defining Fair Trial Hon’ble Supreme Court of India observed “If the witnesses get threatened or are forced to give false evidence that also would not result in a fair trial”.

First ever reference to Witness Protection in India came in 14th Report of the Law Commission of India in 1958. Further reference on the subject are around in 154th and 178th report of the Law Commission of India. 198th Report of the Law Commission of India titled as “Witness Identity Protection and Witness Protection Programmes, 2006” is dedicated to the subject.

Hon’ble Supreme Court observed in *Zahira case supra*, “no country can afford to expose its morally correct citizens to the peril of being harassed by anti-social elements like rapists and murderers”. The 4th National Police

Witness Protection Scheme, 2019

Commission Report, 1980 noted “prosecution witnesses are turning hostile because of pressure of accused and there is need of regulation to check manipulation of witnesses”.

Legislature has introduced Section 195A IPC in 2006 making Criminal Intimidation of Witnesses a criminal offence punishable with seven years of imprisonment. Likewise, statutes namely Juvenile Justice (Care and Protection of children) Act, 2015, Whistle Blowers Protection Act, 2011, Protection of Children from Sexual Offences Act (POCSO Act) 2012 and National Investigation Agency Act, 2008 and Scheduled Castes and Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 also provide for safeguarding witnesses against the threats. However no formal structured programme has been introduced as on date for addressing the issue of witness protection in a holistic manner.

In recent years extremism, terrorism and organized crimes have grown and are becoming stronger and more diverse. In the investigation and prosecution of such crimes, it is essential that witnesses have trust in the criminal justice system. Witnesses need to have the confidence to come forward to assist law enforcement and prosecuting agencies. They need to be assured that they will receive support and protection from intimidation and the harm that criminal groups might seek to inflict upon them in order to discourage them from co-operating with the law enforcement agencies and deposing before the court of law. Hence, it is high time that a scheme is put in place for addressing the issues of witness protection uniformly in the country.

Considering the need for such a scheme, Delhi had notified the Delhi Witness Protection Scheme, 2015 vide notification No.F.11/79/2013/HP-11-6650-6661 dated 30th July, 2015. However, the Hon’ble Supreme Court has approved the Witness Protection Scheme, 2018 in the case of **Mahender Chawla & Ors**

v/s Union of India & Ors. Accordingly it has become imperative to repeal the Delhi Witness Protection Scheme, 2015 and bring in its place the Witness Protection Scheme, 2018 as approved by the Hon'ble Supreme Court.

Scope of the Scheme:

Witness Protection may be as simple as providing a police escort to the witness up to the Courtroom or using modern communication technology (such as audio video means) for recording of testimony. In other more complex cases, involving organized criminal group, extraordinary measures are required to ensure the witness's safety viz. anonymity, offering temporary residence in a safe house, giving a new identity, and relocation of the witness at an undisclosed place. However, Witness protection needs of a witness may have to be viewed on case to case basis depending upon their vulnerability and threat perception.

1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:

- (a) The Scheme shall be called "**Witness Protection Scheme, 2019**"
- (b) It shall come into force from the date of its Notification in the Official Gazette.

Part I

2. DEFINITIONS:

- (a) "**Code**" means the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);
- (b) "**Concealment of Identity of Witness**" means and includes any condition prohibiting publication or revealing, in any manner, directly or indirectly, of the name, address and other particulars which may lead to the identification of the witness during investigation, trial and post-trial stage;
- (c) "**Competent Authority**" means a Standing Committee in each District chaired by District and Sessions Judge with Deputy Commissioner of Police (DCP) in the District as Member and Head of the Prosecution in the District as its Member Secretary.
- (d) "**Family Member**" includes parents/guardian, spouse, live-in partner, siblings, children, grandchildren of the witness;
- (e) "**Form**" means "Witness Protection Application Form" appended to this Scheme;
- (f) "**In Camera Proceedings**" means proceedings wherein the Competent Authority/Court allows only those persons who are necessary to be present while hearing and deciding the witness protection application or deposing in the court.
- (g) "**Live Link**" means and includes a live video link or other such arrangement whereby a witness is not physically present in the courtroom for deposing in the matter or interacting with the Competent Authority;
- (h) "**Witness Protection Measures**" mean measures spelt out in Clause 7, Part-III, Part-IV and Part V of the Scheme.
- (i) "**Offence**" means those offences which are punishable with death or life imprisonment or an imprisonment up to seven years and above and also offences punishable under Section 354, 354A, 354B, 354C, 354D and 509 of IPC;
- (j) "**Threat Analysis Report**" means a detailed report prepared and submitted by the Head of the Police in District investigating the case with regard to the seriousness and credibility of the threat perception to the witness or his family members. It shall contain specific details about the nature of threats faced by the witness or his family to their life, reputation or property apart from analyzing the extent to which the person or persons making the threat have the intent, motive and resources to implement the threats.

It shall also categorize the threat perception apart from suggesting the specific witness protection measures which deserve to be taken in the matter;

- (k) "**Witness**" means any person, who possesses information or document about any offence;
- (l) "**Witness Protection Application**" means an application moved by the witness in the prescribed form before a Competent Authority through its Member Secretary for seeking Witness Protection Order. It can be moved by the witness, his family member, his duly engaged counsel or IO/SHO/ACP- Sub Division/Jail Superintendent concerned;
- (m) "**Witness Protection Fund**" means the fund created for bearing the expenses incurred during the implementation of Witness Protection Order passed by the Competent Authority under this scheme;

- (n) **“Witness Protection Order”** means an order passed by the Competent Authority detailing the witness protection measures to be taken;
- (o) **“Witness Protection Cell”** means a dedicated Cell of State/UT Police or Central Police Agencies assigned the duty to implement the witness protection order.

Part II

3. CATEGORIES OF WITNESSES AS PER THREAT PERCEPTION:

- Category ‘A’ :** Where the threat extends to life of witness or his family members, during investigation/trial or thereafter.
- Category ‘B’ :** Where the threat extends to safety, reputation or property of the witness or his family members, during the investigation/trial or thereafter.
- Category ‘C’ :** Where the threat is moderate and extends to harassment or intimidation of the witness or his family members, reputation or property, during the investigation/trial or thereafter.

4. STATE WITNESS PROTECTION FUND:

- (a) There shall be a Fund, namely, the Witness Protection Fund from which the expenses incurred during the implementation of Witness Protection Order passed by the Competent Authority and other related expenditure, shall be met.
- (b) The Witness Protection Fund shall comprise the following:-
 - i. Budgetary allocation made in the Annual Budget by the State Government;
 - ii. Receipt of amount of cost imposed/ordered to be deposited by the courts/tribunals in the Witness Protection Fund
 - iii. Donations/contributions from Philanthropist/Charitable Institutions/Organizations and individuals permitted by the Government
 - iv. Funds contributed under Corporate Social Responsibility.
- (c) The said Fund shall be operated by the Divisional Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi.

5. FILING OF APPLICATION BEFORE COMPETENT AUTHORITY:

The application for seeking protection order under this scheme can be filed in the prescribed form before the Competent Authority of the concerned District where the offence is committed, through its Member Secretary along with supporting documents, if any.

6. PROCEDURE FOR PROCESSING THE APPLICATION:

- (a) As and when an application is received by the Member Secretary of Competent Authority, in the prescribed form, it shall forthwith pass an order for calling the Threat Analysis Report from the ACP/DCP in charge of the concerned Police Sub-Division.
- (b) Depending upon the urgency in the matter owing to imminent threat, the Competent Authority can pass orders for interim protection of the witness or his family members during the pendency of the application.
 Provided that nothing shall preclude police from providing immediate protection in case of grave and imminent threat to the life of applicant and his family members.
- (c) The Threat Analysis Report shall be prepared expeditiously while maintaining full confidentiality and it shall reach the Competent Authority within five working days of the receipt of the order.
- (d) The Threat Analysis Report shall categorize the threat perception and also include suggestive protection measures for providing adequate protection to the witness or his family.

- (e) While processing the application for witness protection, the Competent Authority shall also interact preferably in person and if not possible through electronic means with the witness and/or his family members/employers or any other person deemed fit so as to ascertain the witness protection needs of the witness.
- (f) All the hearings on Witness Protection Application shall be held *in-camera* by the Competent Authority while maintaining full confidentiality.
- (g) An application shall be disposed of within five working days of receipt of Threat Analysis Report from the Police authorities.
- (h) The Witness Protection Order passed by the Competent Authority shall be implemented by the Witness Protection Cell of the State or the trial Court, as the case may be. Overall responsibility of implementation of all witness protection orders passed by the Competent Authority shall lie on the Head of the Police in the State/UT.
However the Witness Protection Order passed by the Competent Authority for change of identity and/ or relocation shall be implemented by the Department of Home of the concerned State/UT.
- (i) Upon passing of a Witness Protection Order, the Witness Protection Cell shall file a monthly follow-up report before the Competent Authority.
- (j) In case, the Competent Authority finds that there is a need to revise the Witness Protection Order or an application is moved in this regard and upon completion of trial, a fresh Threat Analysis Report shall be called from the ACP/DCP in charge of the concerned Police Sub-Division.

7. TYPES OF PROTECTION MEASURES:

The witness protection measures ordered shall be proportionate to the threat and shall be for a specific duration not exceeding three months at a time. These may include:

- (a) Ensuring that witness and accused do not come face to face during investigation or trial;
- (b) Monitoring of mail and telephone calls;
- (c) Arrangement with the telephone company to change the witness's telephone number or assign him or her an unlisted telephone number;
- (d) Installation of security devices in the witness's home such as security doors, CCTV, alarms, fencing etc;
- (e) Concealment of identity of the witness by referring to him/her with the changed name or alphabet;
- (f) Emergency contact persons for the witness;
- (g) Close protection, regular patrolling around the witness's house;
- (h) Temporary change of residence to a relative's house or a nearby town;
- (i) Escort to and from the court and provision of Government vehicle or a State funded conveyance for the date of hearing;
- (j) Holding of *in-camera* trials;
- (k) Allowing a support person to remain present during recording of statement and deposition;
- (l) Usage of specially designed vulnerable witness court rooms which have special arrangements like live links, one way mirrors and screens apart from separate passages for witnesses and accused, with option to modify the image of face of the witness and to modify the audio feed of the witness' voice, so that he/she is not identifiable;
- (m) Ensuring expeditious recording of deposition during trial on day to day basis without adjournments;
- (n) Awarding time to time periodical financial aids/grants to the witness from Witness Protection Fund for the purpose of re-location, sustenance or starting new vocation/profession, if desired;
- (o) Any other form of protection measures considered necessary.

8. MONITORING AND REVIEW:

Once the protection order is passed, the Competent Authority would monitor its implementation and can review the same in terms of follow-up reports received in the matter. However, the Competent Authority shall review the Witness Protection Order on a quarterly basis based on the monthly follow-up report submitted by the Witness Protection Cell.

Part III**9. PROTECTION OF IDENTITY :-**

During the course of investigation or trial of any offence, an application for seeking identity protection can be filed in the prescribed form before the Competent Authority through its Member Secretary.

Upon receipt of the application, the Member Secretary of the Competent Authority shall call for the Threat Analysis Report. The Competent Authority shall examine the witness or his family members or any other person it deem fit to ascertain whether there is necessity to pass an identity protection order.

During the course of hearing of the application, the identity of the witness shall not be revealed to any other person, which is likely to lead to the witness identification. The Competent Authority can thereafter, dispose of the application as per material available on record.

One, an order for protection of identity of witness is passed by the Competent Authority, it shall be the responsibility of the Witness Protection Cell to ensure that identity of such witness/his or her family members including name/parentage/occupation/address/digital footprints are fully protected.

As long as identity of any witness is protected under an order of the Competent Authority, the Witness Protection Cell shall provide details of persons who can be contacted by the witness in case of emergency.

Part IV**10. CHANGE OF IDENTITY:-**

In appropriate cases, where there is a request from the witness for change of identity and based on the Threat Analysis Report, a decision can be taken for conferring a new identity to the witness by the Competent Authority.

Conferring new identities includes new name/profession/parentage and providing supporting documents acceptable by the Government Agencies. The new identities should not deprive the witness from existing educational/professional/property rights.

Part V**11. RELOCATION OF WITNESS:**

In appropriate cases, where there is a request from the witness for relocation and based on the Threat Analysis Report, a decision can be taken for relocation of the witness by the Competent Authority.

The Competent Authority may pass an order for witness relocation to a safer place within the State/UT or territory of the Indian Union keeping in view the safety, welfare and wellbeing of the witness. The expenses shall be borne from the Witness Protection Fund.

Part VI**12. WITNESSES TO BE APPRISED OF THE SCHEME:**

Every State shall give wide publicity to this Scheme. The IO and the Court shall inform witnesses about the existence of "Witness Protection Scheme" and its salient features.

13. CONFIDENTIALITY AND PRESERVATION OF RECORDS:

All stakeholders including the Police, the Prosecution Department, Court Staff, Lawyers from both sides shall maintain full confidentiality and shall ensure that under no circumstance, any record, document or information in relation to the proceedings under this scheme shall be shared with any person in any manner except with the Trial Court/Appellate Court and that too, on a written order.

All the records pertaining to proceedings under this scheme shall be preserved till such time the related trial or appeal thereof is pending before a Court of Law. After one year of disposal of the last Court proceedings, the hard copy of the records can be weeded out by the Competent Authority after preserving the scanned soft copies of the same.

14. RECOVERY OF EXPENSES:

In case the witness has lodged a false complaint, the Divisional Commissioner, Government of National Capital Territory of Delhi can initiate proceedings for recovery of the expenditure incurred from the Witness Protection Fund.

15. REVIEW & APPEAL:

In case the witness or the police authorities are aggrieved by the decisions of the Competent Authority, a review application may be filed within 15 days of passing of the orders by the Competent Authority.

1.	Particulars of the Witness (Fill in Capital):	
	1) Name	-----
	2) Age	-----
	3) Father's Name	-----
	4) Residential Address	-----
	5) Is witness desirous of Identity protection/new identity/witness relocation, if yes, give reasons	-----
	6) Name and other details of family members of the witness who are receiving or perceiving threats .	-----
	7) Contact details	

	(Mobile/e-mail)	
2.	Particulars of Criminal matter: 1) FIR No. 2) Under Section 3) Police Station 4) District 5) D.D. No. (in case FIR not yet registered) 6) Cr. Case No. (in case of private complaint)	----- ----- ----- ----- ----- -----
3.	Particulars of the Accused (if available/known): 1) Name 2) Address 3) Phone No. 4) Email id	----- ----- ----- -----
4.	Name & other particulars of the person giving/suspected of giving threats	----- ----- -----
5.	Nature of threat. Please give brief details of threat received or perceived in the matter with specific date, place, mode and words used	----- ----- ----- -----
6.	Type of witness protection measures prayed by/for the witness	----- ----- ----- ----- -----
7.	Details of Interim / urgent Witness Protection needs, if required	----- ----- ----- ----- -----

- Applicant/witness can use extra sheets for giving additional information.

Date :

(Full Name with signature)

Place:.....

UNDERTAKING

1. I undertake that I shall fully cooperate with the competent authority and the Department of Home of the State and Witness Protection Cell.
2. I certify that the information provided by me in this application is true and correct to my best knowledge and belief.
3. I understand that in case, information given by me in this application is found to be false, competent authority under the scheme reserves the right to recover the expensed incurred on me from out of the Witness Protection Fund.

Date:

(Full Name with signature)

Place:.....